ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

वर्ष XI अंक 1, बसंत 2019

करुणा-मित्र

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

सम्पादकीय

अवैध सिंहदर्शन में मासूम प्राणियों की चारे के रूप में बलि

आप कभी गिर के जंगल में गए हैं? वहां पर आधिकारिक रूप से हो रहे सिंहदर्शन के लिए शासकीय वाहन में छोटे या बड़े गुट में मामूली शुल्क लेकर जंगल में घुमाया जाता है, आपकी किस्मत अच्छी हो और सिंह यदि वन में घुमते देखने को मिल जाये तो आप खुश! अन्यथा आप मायूस होकर वापस लौट आते हैं।

वहीं पर दूसरी ओर गिर जंगल की दलखानिया रेंज में अनधिकृत रूप से चल रहे सिंहदर्शन के निजी कार्यक्रम में निश्चित तौर पर सिंहदर्शन कराने का घिनौना अवैध व्यापार सरेआम चल रहा है। साधारणतया एक शेर को भोजन के लिए १० से १२ किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है। सिंहों की एक टोली, जिसमें १०-१२ सदस्य होते हैं, को भोजन के लिए लगभग १२० से अधिक किलो मांस की आवश्यकता पड़ती है। जंगल में हिरण आसानी से मिल जाते हैं, जिनसे औसतन १०० किलोग्राम मांस मिल जाता है, जोकि एक टोली के सदस्यों के लिए अपर्याप्त है। जबकि, गाय या भैंस से २००-३०० कि. ग्रा. मांस उपलब्ध होता है। दलखानिया रेंज में स्थित सिंहों की टोली में २६ तक शेरों की संख्या पायी जाती है, जोकि सिंहों की औसत टोली के हिसाब से अत्यधिक बड़ी संख्या है।

ज्ञातव्य है कि दलखानिया रेंज के आसपास के गाँवों में निजी यात्रा परिचालकों के द्वारा अवैध सिंहदर्शन के कार्यक्रम धड़ल्ले से चलाये जाते हैं। कोई भी व्यक्ति दलखानिया रेंज में जाकर एक बछड़ा खरीद कर गाँव वालों से मिलता है, तो उसके लिए सिंहदर्शन की सुविधा सुनिश्चित की जाती है। इसकी कीमत केवल ₹५,०००/- होती है। अधिकृत कार्यक्रम की मामूली लागत केवल ₹२००/- की अपेक्षा यह अत्यधिक बड़ी राशि है। परन्तु, इसमें सिंह को सक्रिय रूप से शिकार करते देखने की

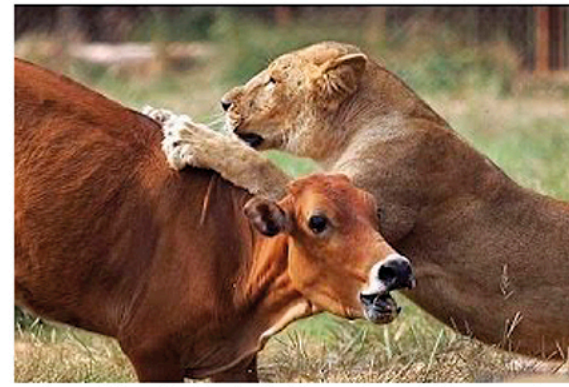

यह बेचारा निरीह प्राणी मारे जाने और सिंह का भोजन बनने की कगार पर है, तब कितना डरा हुआ है, भयाक्रांत है। उसके पास भागने का कोई विकल्प ही न था। और प्रवासी इस रक्तरंजित तमाशे को निहारते रहते हैं। *तसवीर सौजन्य:* पारस

ग्यारंटी रहती है। लेकिन ऐसे शो में शेरों का वास्ता गाय-भैंस और कुत्तों से पड़ता है, जोकि डिस्टेंपर वायरल रोग से पीड़ित होने की संभावना होती है। उनके संसर्ग से शेर भी इस रोग से संक्रामित होने की संभावना रहती है।

शेरों के द्वारा आसपास के गाँवों में जाने की घटनाओं में वृद्धि होने का एक और कारण उनकी बढ़ती हुई आबादी भी है। २०१० में ४११ से बढ़ कर इनकी आबादी मई २०१५ में ५२७ हुई थी। और अगस्त २०१७ में यह ६५० तक पहुंची है। शरणस्थली के बाहर आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि और शरणस्थली के भीतर सीमित वृद्धि होती है।

गिर जंगल शेरों को रख पाने की अपनी क्षमता (२५०-३००) से कहीं अधिक (७५०) रख रहा है। शेरों की बढ़ती हुई इस आबादी को लुभाने और सिंहदर्शन के तमाशे के नाम पर जीवित मासूम पशुओं का चारा उनके सामने डाला जाता है। इन मूक पशुओं की बलि तत्काल बंद हो।

नवम्बर, २०१८ के अंत में बी डब्ल्यू सी ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री रूपाणी से इसे बंद कराने के लिये गुज़ारिश की है। उनसे प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

भरत कापडीआ

संपर्क: *editorkm@bwcindia.org*

प्रकाशक: डायना रत्नागर,
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोळकर
मुद्रण स्थल: मुद्रा, 383 नारायण पेठ, पुणे 411 030

करुणा-मित्र का प्रकाशनाधिकार
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है।
प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना
किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री की
अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा-मित्र प्राणिज पदार्थ-रहित कागज़
पर मुद्रित किया जाता है,
और प्रत्येक बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई),
वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर)
में प्रकाशित किया जाता है।

मुक्ति की व्यर्थता

सुदर्शन कुमार के शब्दों में किसी विशेष अवसर पर पक्षियों को मुक्त करवाना, हवा में उड़ाना अच्छी प्रथा नहीं हैं।

कुछ लोगों की सोच के अनुसार पिंजरे में कैंद पक्षियों को विक्रेता की दुकान से खरीद कर आज़ाद करना एक पुण्य का कार्य है। लेकिन ऐसी सोच निराधार है। दुर्भाग्यवश, करुणा का यह पुण्यकार्य इन जीवों के लिये अहितकारी हो जाता है, जब यही छुड़ाये गये पक्षी फिर से पकड़े जाते हैं। अंततोगत्वा, उन्हीं पक्षी-विक्रेताओं के पास बिकने के लिये आ जाते हैं। और बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है।

पकड़े गये अनगिनत (बंदी) पक्षी बंदी अवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में देश के अनेक राज्यों के घने जंगलों से परिवहन के विभिन्न माध्यमों के द्वारा लाये जाते हैं। इन्हें जंगलों से अवैध व क्रूर ढंग से पकड़ा जाता है। बर्ड-लाईम एक गोंद की तरह चिपकने वाला पदार्थ होता है, जिसे शिकारी लोग पेड़ों के तनों व शाखाओं पर चिपका देते हैं। जैसे ही पक्षी उन शाखाओं पर विश्राम के लिये बैठते हैं, उनके पंजें उस गोंद से चिपक जाते है। लाख प्रयास करने पर भी वे स्वयं मुक्त नहीं हो सकते। उड़ने की चेष्ट में वे इतना फड़फड़ाते हैं, कि कई पक्षियों के पर भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पक्षियों को पकड़ने का एक अन्य ढंग है कि एक मादा-पक्षी को पिंजरे में बिठा कर घने जंगल में रख दिया जाता है, जो कि जंगल के अन्य पक्षियों के लिये एक प्रलोभन होता हैं।

इस पिंजरे में बंद मादा पक्षी के आसपास क्लैप-जाल फैलाये जाते हैं। जैसे ही बड़ी मात्रा में नर-पक्षी इस मादा पक्षी के आस पास आकर बैठते हैं, क्लैप-जाल की डोरी खींच दी जाती है और सभी पक्षी इस जाल में फंस जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पक्षियों को पकड़ने के अन्य साधन हैं, मिस्ट-जाल व यांत्रिक उपकरण। इन दोनों उपकरणों में प्रवासी-पक्षी भी फंस जाते हैं, जालसे-छूटने की प्रयास में बेतहाशा चोटग्रस्त हो जाते हैं। अब शिकारियों ने बच्चों व किशोरों को भी इस अवैध व घिनौने व्यवसाय में झोंक दिया है, इस आशा से कि वन-अधिकारी अवयस्कों को नहीं पकडेंगे।

मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में पक्षियों की दुकान।
***तसवीर सौजन्य:* सलमान अंसारी, DNA**

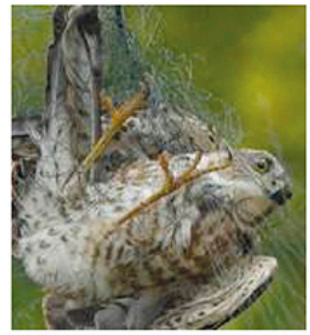

जाल में फंसे पक्षी: मिस्ट-नेट में पकड़े गए और शाखा में चिपके पक्षी।
***तसवीर सौजन्य:* shutterstock.com, birdwatch.co.uk**

फिर भी यदि इन पक्षियों को बंधक बनाने के कुछ दिनों के भीतर ही उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहां से इन्हें पकड़ा गया था, तब इनके फिर से अपने मूल प्राकृतिक वन्य वातावरण में अनुकूलन की काफी हद तक संभावना रहती है। परंतु, यदि इन पक्षियों या इनके बच्चों के पंख काट दिये जायें या इनके घौसले नष्ट हो जायें तब उनका बच पाना संदेहजनक होता है।

बंदी अवस्था में पक्षीपालन

यदि पक्षियों का जन्म बंद वातावरण में हो और उनको बंधन से मुक्त कर दिया जाये तो ऐसे पक्षियों का जीवनयापन लगभग असंभव होता है। क्योंकि, उन्हें पता नहीं होता है कि अपने दाना-पानी का प्रबन्ध कहाँ से और कैसे करना है? उन्हें विश्राम कहाँ करना है? उन्हें घौसला कैसे बनाना है? उन्हें वन्य जीवजंतुओं से स्वयं को कैसे सुरक्षित रखना है? यही बात मुक्ति के पश्चात् उनके विरुद्ध जाती है। जब तक यह पक्षी पिंजरों में बंन्द थे तो उनका मनुष्यों पर विश्वास था, उनको दूसरे पक्षियों पर भी विश्वास था क्योंकि यह पिंजरे में सुरक्षित होने का अनुभव करते थे। लेकिन बंधन से स्वतंत्रता इनके जीवित रहने का अभिशाप बन जाती है। इसके अतिरिक्त पिंजरे में सुरक्षित रहने के पश्चात, जंगल में छोड़े जाने पर विकट परिस्थितियों में इनकी रोगप्रतिरोधक शक्ति एवं क्षमता कम हो जाती है। अत: ये पक्षी बहुत जल्द यातना पाकर मर जाते हैं।

पिंजरे में कैदी पक्षियों को वन में मुक्त करने का क्रम: ऐसे पक्षियों को क्रम से तैयार करना पड़ता है। पहले उन्हें वन के एक छोटे से क्षेत्र में दरबा बना कर छोड़ दिया जाता है। जब ये पक्षी इस क्षेत्र में रहना आरम्भ कर देते हैं तो उनके रहने का क्षेत्र और बड़ा कर दिया जाता है, जो सर्वथा सुरक्षित होता है। इसके पश्चात इनके रहने का दायरा और बड़ा कर दिया जाता है। जहाँ पर और सजातीय पक्षी भी होते हैं। यहाँ इनके पिंजरे का दरवाजा खुला रखा जाता है, ताकि यदि उनको तनिक भी असुरक्षा लगे तो पिंजरे में लौट कर आ सकें। यह सभी व्यवस्था इनको घने वन में

पटाखेवाले रॉकेट कोन में जिंदा कबूतरके पाँव को बाँधकर छोड़ा गया। *तसवीर सौजन्य:* youtube.com

स्वत्रंतापूर्वक जीना सिखाने के लिये की जाती है, ताकि ये पक्षी अपने दाना-पानी का स्वयं प्रबन्ध कर सकें तथा खुद को शिकारी पक्षियों के तथा शिकारी मानव के चुंगल से सुरक्षित रख सकें। यदि ये विदेशी पक्षी हैं, तो हमारे जंगल में जी नही पायेंगे।

२०१७ का एक गीत 'मन भरया' के चित्रीकरण में पिंजरे में कैद दो बजरीगर पक्षियों को मुक्त कराते दिखाया गया है। ब्युटी विदाउट क्रुएल्टी को अचरज़ है कि ऐसे विदेशी पक्षी हमारे जंगल में जीवित नहीं रह सकते। उस स्थिति में भारतीय प्राणी कल्याण बोर्ड की अनुमति कैसे मिली होगी, क्यूंकि, किसी भी पशु-पक्षी के फिल्मांकन की अनुमति भारतीय प्राणी कल्याण बोर्ड से लेना आवश्यक है।

यह पक्षी अन्य पक्षियों की तरह मुक्त नहीं है।

बी डब्ल्यू सी भारत के कई ऐसे राजनैतिक नेताओं व ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों को जानती है, जो किसी विशेष अवसर या त्योहार के अवसर पर श्वेत कबूतर या फाख्ता को हाथ में लेकर उनके भविष्य की परवाह किये बगैर आज़ाद कर देते हैं, जहाँ पर उनका क्रूर भवितव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है।

२०१४ वर्ष के लोकसभा चुनावों में श्वेत कबूतरों का दुरुपयोग दो राजनैतिक दलों ने किया। उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव-चिह्नों को कबूतरों के गले में बाँध कर उनको किसी विशेष क्षेत्र में छोड़ा। बी डब्ल्यू सी ने चुनाव आयोग से इनकी शिकायत की। हमें प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग ने उसके पश्चात पशु व पक्षियों का चुनावों मे उपयोग अवैध घोषित कर दिया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने राजनायिकों को अपने प्रतिद्वंद्वियों को पशु-पक्षियों के संदर्भ देने को भी ना कहा।

इस प्रतिबंध के बावजूद वर्ष २०१५ में आन्ध्रप्रदेश के एक नेता को सम्मानित करने हेतु बहुत से कबूतरों को उस नेता के समर्थको ने राकेट-कोन से बाँधकर उड़ाया। कुछ कबूतर तो मर कर नीचे गिर गये और अन्य के पंख एवं पंजे छिल गये। अन्य कबूतरों के गले में इस राजनैतिक दल के झंडे लटकाये गये, जिनके ऊपर स्वागतम् लिखा था। पक्षियों पर इतनी क्रूरता व अत्याचार शायद ही कहीं आपको देखने को मिले!

अगस्त २०१६ में बेंगलुरु के फ्रीडम-पार्क में ईन्डियन पीस ऐण्ड ह्युमेनिटी केम्पेन के दौरान घटी। कुछ विद्यार्थियों को आयोजको ने सफेद कबूतरों को नाट्यात्मक रुप से हवा में आज़ाद करने को प्रेरित किया। लेकिन, उन्हें पता नहीं होता है कि वास्तव में वे पक्षियों की सहायता नहीं, हानि कर रहे हैं।

संवत्सरी के अवसर पर जैन धर्म के अनुयायी बंदी पक्षियों को पिंजरो से आज़ाद कराते हैं, यह सोच कर कि पुण्य के इस कार्य से उन्हे मोक्ष प्राप्त होगा। जैन मतावलंबी इन पक्षियों को उन विक्रेताओं (जोकि मंदिरों के बाहर पिंजरे लेकर खड़े होते हैं) से खरीदते हैं। यहाँ दु:ख की बात, जिससे वे अनभिज्ञ हैं, कि प्रत्येक छुड़ाये गये पक्षी के पीछे तीन पक्षी फांसने और परिवहन के दौरान मर जाते हैं।

संवत्सरी का पर्व पर्युषण के अंतिम दिन होता है, जोकि जैन समुदाय के लिये एक महत्त्वपूर्ण व शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जैन समुदाय आत्म-निरीक्षण कर सृष्टि की सभी जीवों से मिच्छामि दुक्कडम या उत्तम क्षमा की प्रार्थना करते हैं। उन प्राणियों से, जिनको जाने या अनजाने में उनके द्वारा दु:ख, कष्ट या दर्द की अनुभूति हुई हो।

नगरों में बंदी पक्षियों को मुक्त करने पर ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं, थककर नीचे गिर जाते हैं। कुत्ते-बिल्लियों के आक्रमण या फिर गुलेल का शिकार होते हैं। या फिर बिजली के खंबों से जुड़ी तारों पर बैठ कर बिजली के झटके से मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध हो चुका है कि मोबाईल फोन के टावरों से निकली हुई विकिरण (रेडीयेशन) इन पक्षियों की आंतरिक पथ-प्रदर्शन प्रणाली को दुष्प्रभावित करती हैं। इस से पक्षी परेशान हो कर दिशा के ज्ञान की क्षमता को खो देते हैं। जिन पक्षियों को हम पराधीनता से स्वाधीन करते हैं, कोई भी उनमें से 'पक्षी की भांति मुक्त' नहीं रहता है। बल्कि, सैंकडों मुक्त पक्षियों का अंत यातना व मृत्यु में होता है। बंदी पक्षियों को मुक्ति के लिये खरीदकर हम उनकी मांग बढ़ाते हैं। इस प्रकार, इस घिनौने व्यापार को जारी रखने के लिये हम धन उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष २०१५ में पोप फ्रांसिस ने वैटीकन में जनवरी मास के अंतिम रविवार को दो कबूतर मुक्त करने की प्रथा को बंद किया। इसके पिछले वर्ष मुक्त किये कबूतरों पर सीगल व कौवों द्वारा आक्रमण कर घायल किये जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया।

शेष आगामी अंक में

सुदर्शन कुमार बी डब्ल्यू सी के आजीवन सदस्य और कार्यकर्ता हैं।

जैन विगन व्यंजन

इस स्तंभ के अंतर्गत जैन विगन व्यंजन बनाने की विधि प्रस्तुत है। यदि आप भी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं, तो पत्र/ई-मेल के द्वारा भेजें। विगन से हमारा तात्पर्य यह है कि शाकाहारी लोगों की ऐसी श्रेणी, जोकि खाने-पीने में प्राणिज पदार्थ से बनी किसी भी वस्तु के प्रयोग से दूर रहते हैं।

उंधियुं

मूलत: गुजराती व्यंजन उंधियुं एक ऐसा चटपटा व्यंजन है, जिसे गुजरात के बाहर भी लोगों ने सराहा और अपनाया है।

उंधियुं

(४ व्यक्तियों के लिये)

सामग्री

- २०० ग्राम वाल दाने
- २०० ग्राम तुअर दाने
- १०० ग्राम पापड़ी
- २०० ग्राम मटर
- २ नग कच्चे केले
- १ छोटा चम्मच अजवाइन
- तड़के के लिये हींग
- २-३ टमाटर छोटे कटे हुए
- २०० ग्राम बैंगन
- लाल मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला और नमक स्वाद अनुसार, शिंगदाना और तिल का चुरा, तड़के के लिए तेल।

बनाने की विधि

प्रेशर कूकर में वाल के बीज, तुअर दाने, पापड़ी को उबाल लें।

मटर को अलग से उबालें।

कच्चे केले को प्रेशर कूकर में उबालें, तत्पश्चात केले के छिलके उतार कर काट लें।

एक कड़ाही में तेल उबाल कर उसमें अजवाइन और हींग का तड़का डालें। उसमें टमाटर डाल कर धीमी आंच पर गर्म करें।

अब इसमें काटे हुए बैंगन डाल कर पकने दें। बैंगन पक जाने पर उबले हुए मटर, केले और शेष सब्ज़ियां डाल दें। इनमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा, हल्दी, गर्म मसाला, शिंगदाना और तिल का चुरा स्वाद अनुसार मिलाएं। सब कुछ ठीक से मिलाएं।

थोड़ा पानी भी डालें। सभी मसाले ठीक से घुल जाएं, तब *मुठिया डाल कर थोड़ी देर पकने दें।

*मुठिया

सामग्री

- १ कप मेथी की भाजी
- २ चम्मच बेसन
- १ चम्मच गेहूं का दानेदार आटा
- लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, तेल और नमक स्वाद अनुसार।

बनाने की विधि

मेथी की भाजी को भिगो कर उसमें से पानी निकाल कर एक कटोरी में रखे।

इसमें २ चम्मच बेसन और एक चम्मच गेहूं का दानेदार आटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार मिलाएं।

इस मिश्रण को ठीक से मिला लें, इसके गोले बना कर तलें।

उंधिया तैयार होने पर उसमें मुठिया मिक्स करें।

बी डब्ल्यू सी द्वारा जांचे-परखे व आस्वाद किये गए स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि का संकलन देखने के लिए कृपया *www.bwcindia.org/Web/Recipes/Recipesindex.html* की मुलाकात लें।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
टेलिफोन: +91 20 2686 1166 फैक्स: +91 20 2686 1420 ई-मेल: admin@bwcindia.org वेबसाईट: www.bwcindia.org

निजी प्रचलन हेतु Reg. No. 022203/30/86/AL/TC